भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3307

उत्तर देने की तारीख : 12.03.2026

मत्स्यपालन क्षेत्र में एमएसएमई इकाइयां

3307. कु.सुधा आर. :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का पूर्वी तट पर मछली उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में से एक, मइलादुथुरई लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र (तमिलनाडु) के तटीय क्षेत्र में मछली पकड़ने के जाल बनाने के लिए विशिष्ट संकुल या व्यक्तिगत इकाइयां स्थापित करने का विचार है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु में नाव या ट्रॉलर बनाने वाली इकाइयों के लिए केंद्रीय वित्तीय आवंटन का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का मइलादुथुरई लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय लोगों को मछली पकड़ने के उपकरण बनाने, नाव मरम्मत करने और अन्य संबंधित इकाइयाँ स्थापित करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयां स्थापित करने में सहायता करने का विचार है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) को लागू कर रहा है जिसका उद्देश्य सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना और औद्योगिक एस्टेटों के निर्माण और उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की स्थापना को भी समर्थन दिया जाता है। सीएफसी के लिए, भारत सरकार का अनुदान 80% तक है, परियोजना लागत की ऊपरी सीमा 30 करोड़ रुपए है जबकि, आईडी परियोजनाओं के लिए भारत सरकार का अनुदान 70% तक है, परियोजना की ऊपरी सीमा 15 करोड़ रुपए है। एमएसई-सीडीपी एक मांग आधारित केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जिसमें राज्य सरकारें अपने राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में मौजूदा क्लस्टर की सामान्य आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्ताव भेजती हैं।

(ख) और (ग) : केंद्र सरकार तमिलनाडु राज्य सहित देश में एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के ज़रिए राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। ये स्कीमें देश के सभी राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों में कार्यशील हैं। इन स्कीमों/कार्यक्रमों में सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, नए प्रौद्योगिकी केंद्र/विस्तार केंद्र (टीसीईसी), प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम आदि शामिल हैं। नाव, ट्रॉलर निर्माण, फिशिंग गीयर्स, नाव मरम्मत तथा अन्य संबंधित इकाइयों जैसे क्षेत्रों के संबंध में राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****